



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।**  
वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

- 0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : 01 / यो०बजट-२५/२०२०- ५०७

दिनांक : ०१.०७.२०२१

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वयित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का द्वितीय वर्ष कार्य हेतु कुल रु० 89.509 लाख (नेवासी लाख पचास हजार नौ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो०ब०-३६/२०२०-२३/स्वी० व०प० दिनांक 19.01.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो०बजट-३६/२०२०-१६/आ० व०प० दिनांक 10.06.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष- 09 "लघु वन पदार्थ का उन्नयन" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु० 89.509 लाख (नेवासी लाख पचास हजार नौ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110209010103	34.667
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110209010323	53.892
प्रशिक्षण मद	19S24060110209010335	0.950
कुल :-		89.509

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2 पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— 19S24060110209010103, 19S24060110209010323 एवं 19S24060110209010335 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अन्तर्गत शामिल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

5. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार सहित के नियम—174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे।

10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :—

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग— NRLM, झारखण्ड के साथ समन्वय किया जाय। NRLM के बिक्री केन्द्रों की मदद PALAS से ली जाय, ताकि समेकित बाजार के कारण उत्पाद की पहुँच तथा माँग एवं मूल्य सही एवं समुचित मिल सके।

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का

निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्पष्टाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

11. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :—

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020-21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

12. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, ज्ञारखण्ड को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैट्रन पर तैयार करायें।

(VI) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(VIII) कंडिका— VII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(IX) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

13. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, ज्ञारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वार्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

14. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमङ्गल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान DBT/बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। Cash में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हो।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।


18. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-झापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा ।
22. (i) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन Gis Photography के साथ कर record में रखें तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय ।
- (ii) बड़े अग्रिम की राशि वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें । भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय ।
- (iii) Master Roll में अन्य ब्यौरा के साथ—साथ बैंक का नाम, Account Number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा । यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय ।
- (iv) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Documents के साथ—साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय ।
- (v) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे ।
- (vi) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय ।
- (vii) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे । योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें । अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय ।
- (viii) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75 प्रतिशत होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय । पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो ।
- (ix) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे ।
23. आपूर्ति एवं सामग्री मद में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण अनुसूचित कार्य दर के अनुरूप राशि का उप—आवंटन नहीं किया जा रहा है । उपरोक्त मद में राशि का प्रावधान किए जाने के उपरांत शेष राशि का उप—आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा ।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,  
  
 अपर प्रधान मुख्य वन सरक्कर, विकास,  
 झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो०बजट—25 / 2020— ५०७

दिनांक— 01. 07. 2021

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो / पलामू / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो / गिरिडीह / मेदिनीनगर / गढ़वा / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्ति ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो०बजट—25 / 2020— ५०७

दिनांक— 01. 07. 2021

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, धनबाद / गिरिडीह / लातेहार / गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्ति ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का द्वितीय वर्ष कार्य हेतु प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय लक्ष्य			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
				9.123	24.285	0.250	33.658
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	125	12500	9.123	14.182	0.250	23.555
2	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	125	12500	9.123	14.182	0.250	23.555
3	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	125	12500	9.123	14.182	0.250	23.555
4	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	100	10000	7.298	11.346	0.200	18.844
कुल योग :-		475	47500	34.667	53.892	0.950	89.509

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, राँची।

## रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित कार्य दर तालिका

रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना की कार्य दर लाह पोषक प्रजाति पलाश के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार)

(रु० लाख में)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	द्वितीय वर्ष 2021-22 मजदूरी प्रति मानव दिवस 311.33				
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय
1	वृक्षों का चिह्नांकन	रु० 2.98 प्रति वृक्ष		0.000	0.000	0.000	0.000
2	प्रशिक्षण						
	(क) हितग्राही परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक शिक्षित सदस्य / प्रति 100 परिवार को मास्टर ड्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी				0.000	
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रु० 1775/- प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट					0.000
4	वृक्षों की कटाई-छाँटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	6250 वृक्ष	3.892			3.892
5	बीहन लाह का क्रय	700 ग्राम से 1.00 किंग्रा० प्रति वृक्ष; रु० 200.00 प्रति किंग्रा०	6250 वृक्ष		12.500		12.500
6	संचारण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष	6250 वृक्ष	0.973			0.973
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 रु० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इल्यादि)	6250 वृक्ष		1.875		1.875

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	द्वितीय वर्ष 2021-22 मजदूरी प्रति मानव दिवस 311.33				
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन	1 मशीन प्रति 10 लामुक परिवार @ 6000₹०			7.500		7.500
9	फुन्की का स्केपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष	6250 वृक्ष	0.778			0.778
10	तकनिकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)				0.250		0.250
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक प्रति माह	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600
12	CRP (Community Resource Person ) को मानदेय	12 CRP @ 2000₹० प्रति माह	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड / प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)				0.500		0.500
कुल योग—				9.123	23.625	0.250	32.998
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)	..@ 2 % of Project cost			0.660		0.660
	सकल योग—			9.123	24.285	0.250	33.658

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेशझारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-25/2020/507

दिनांक -

01-Jul-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110209010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	30010	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	912,300.00 रुपये नौ लाख बारह हजार तीन सौ
2	S 19 24060110209010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	30011	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	912,300.00 रुपये नौ लाख बारह हजार तीन सौ
3	S 19 24060110209010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	30014	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR	912,300.00 रुपये नौ लाख बारह हजार तीन सौ
योग: क्रमिक योग:	रुपये सत्ताइस लाख छत्तीस हजार नौ सौ		(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND	2,736,900.00
Page 1 of 4		RANCH	Run Date: 1/7/2021	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110209010103 2406 - वानिकी तथा बन्य शारी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	30016	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजदूरी	729,800.00 रुपये सात लाख उन्तीस हजार दो सौ
	State Scheme : Central Scheme :	NA NA		
5	S 19 24060110209010323 2406 - वानिकी तथा बन्य शारी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	30017	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,418,200.00 रुपये चौदह लाख अठारह हजार दो सौ
	State Scheme : Central Scheme :	NA NA		
6	S 19 24060110209010323 2406 - वानिकी तथा बन्य शारी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	30018	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,418,200.00 रुपये चौदह लाख अठारह हजार दो सौ
	State Scheme : Central Scheme :	NA NA		
योगः	रुपये तीरसठ लाख तीन हजार एक सौ			3,566,200.00
क्रमिक योगः				6,303,100.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110209010323	30019	LTRFOR001	1,418,200.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		RAUSHAN KUMAR	रुपये चौदह लाख अठारह हजार तौ सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		DFO FOREST DIV	
	09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन		LATEHAR	
	01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना			
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
8	S 19 24060110209010323	30020	GRHFWL004	1,134,600.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SHASHI KUMAR	रुपये एक्सारह लाख चौतीस हजार छः सौ
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		D.F.O. SOUTH	
	09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन		DIV.GARHWA	
	01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना			
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
9	S 19 24060110209010335	30021	DHNFOR001	25,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI BIMAL LAKRA	रुपये पच्चीस हजार
	102 - समाज तथा फार्म वानिकी		DIVISIONAL FOREST	
	09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन		OFFICER	
	01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना			
	03 - प्रशासनिक व्यय		35 - प्रशिक्षण व्यय	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
योगः	रुपये अठ्यासी लाख अस्सी हजार तौ सौ			2,577,800.00
क्रमिक योगः				8,880,900.00
			(NAND KISHORE SINGH)	
			ADDL. PCCE DEV. HARKHAND	
			RANCH	
Page 3 of 4			Run Date:	1/7/2021

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110209010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	30022	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 35 - प्रशिक्षण व्यय	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
	State Scheme : Central Scheme :	NA NA		
11	S 19 24060110209010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	30024	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 35 - प्रशिक्षण व्यय	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार
	State Scheme : Central Scheme :	NA NA		
12	S 19 24060110209010335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	30027	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 35 - प्रशिक्षण व्यय	20,000.00 रुपये बीस हजार
	State Scheme : Central Scheme :	NA NA		
योगः क्रमिक योगः	रुपये नवासी लाख पचास हजार नौ सौ		(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV. JHARKHAND	70,000.00 8,950,900.00